न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं. 3, जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– इन्दिरा बनेरा, आर.एच.जे.एस.
दीवानी विविध कम्पलेंट प्रकरण सं.– 18/2021
सीआईएस संख्या 18/2021
CNR No. RJSK010006492020

1. कैलाशचन्द शर्मा आयु 61 वर्ष पुत्र स्व० श्री विजयनारायण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 10 बाँडिया बास सीकर तहसील व जिला सीकर (राज०)

–प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व० श्री जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 10 बोडिया बास तहसील व जिला सीकर (राज०)

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 39 (2) (क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवंम सपठित धारा 151 सी आर पी सी।

उपस्थित:–
1. श्री श्रवण कुमार झाझडिया– विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा– विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी।

––

ः आदश ः दिनांकः 07.08.2026

1. प्रार्थी कैलाशचंद की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 39 (2) (क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवंम सपठित धारा 151 सी आर पी सी अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 12.03.2020 को इस आशय का पेश किया कि माननीय न्यायालय में एक दावा बउनवानी जुगलकिशोर बनाम विजयनारायण आदि बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 12/02/2013 से विचाराधीन है जो दावा संख्या–308/2013 है एवं दावा के साथ आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा जो आवेदन संख्या–58/13 सी.आई. एस संख्या–993/14 जो बउनवानी जुगलकिशोर आदि बनाम विजयनारायण आदि का निर्णय दिनांक 20/07/2018 को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। निर्णय की प्रतिलिपि आवेदन के साथ प्रस्तुत है।उक्त दावा एवं आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थी एवं वादी संख्या–4 के रूप में सीताराम पक्षकार है जो प्रस्तुत आवेदन में अप्रार्थी है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20/07/2018 को आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया एवं पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक विक्रय करने, अन्तरित करने एवम् यथास्थिति बनाये रखने के लिए प्रतिबन्धित किया गया। इस प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी मूल वाद एवं आवेदन में प्रार्थी/वादी था, इस कारण उसे माननीय न्यायालय के निर्णय व आदेश की पूर्ण जानकारी है एवं माननीय न्यायालय के आदेश की पूर्णतः पालना एवं सम्मान करने के लिए प्रतिबन्धित कानूनी रूप से एवं नैतिक रूप से है। माननीय न्यायालय के उक्त अंकित आदेश के बावजूद अक्टूम्बर–नवम्बर में अप्रार्थी ने वाद–पत्र व आवेदन में अंकित सम्पदा संख्या–4 में उत्तर–पश्चिम कोने की तरफ नाजायज रूप से मकानात का निर्माण कर लिया। उस वक्त प्रार्थी जो कि मूल वाद में विजयनारायण के पुत्र के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है, वह सीकर शहर में न होकर बाहर कलकत्ता गया हुआ था, पीछे से साज कर

मकानात का निर्माण न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर कर लिया। जब प्रार्थी को जानकारी मिली और उसे मना किया व न्यायालय के आदेश के बारे में अवगत करवाया तो उसने उस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया तथा कारीगरों व मजदूरों की संख्या बढाकर जल्दबाजी कर अपना निर्माण सम्पूर्ण कर लिया। प्रार्थी जब कलकत्ता से वापस आया तो अन्य वादीगण से भी इस बारे में कहा तो उन्होंने भी बताया कि यह उनकी भी नहीं मानता और न्यायालय का आदेश भी नहीं मानता है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा व उल्लंघन है जिसके लिए नियमानुसार सख्त सजा का आदेश पारित कर उक्त नवनिर्मित मकानात को कुर्क किया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है इस कारण उक्त निर्माण कार्य को धवस्त कर दावा दायरी की तिथि व आदेश दिनांक 20/07/2018 की तिथि की स्थिति बहाल किया जाना न्यायसंगत है। अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी को उसके दुष्कृत्य के लिए दण्डित किया जाकर उसके द्वारा किए गए नव निर्माण को ध्वस्त कर दावा दायरी की तिथि की स्थिति वादग्रस्त संपदा की वापस बहाल किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. अप्रार्थी सीताराम की ओर से उक्त आवेदन का जवाब पेश इस आशय का पेश किया कि आवेदन की मद सं.5 में वर्णित यह कथन कि माननीय न्यायालय के उक्त अंकित आदेश के बावजूद अक्टूबर–नवम्बर में अप्रार्थी ने वाद पत्र व आवेदन पत्र में अंकित सम्पदा संख्या–4 में उत्तर–पश्चिम कोने की तरफ नाजायज रूप से मकानात का निर्माण कर लिया, उस वक्त प्रार्थी जो मूल वाद में विजयनारायण के पुत्र के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है, वह सीकर शहर में न होकर बाहर कलकत्ता गया हुआ था, उपरोक्त समस्त अभिकथन जिस प्रकार वर्णित है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदन की इस मद में वर्णित यह कथन भी गलत है कि पीछे से साज कर मकानात का निर्माण न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर कर लिया। आवेदन पत्र की इस मद में वर्णित यह कथन भी गलत है कि जब प्रार्थी को जानकारी मिली एवं उसे मना किया व न्यायालय के आदेश के बारे में अवगत कराया तो उसने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया। आवेदन की इस मद में वर्णित यह कथन भी गलत है कि कारीगरों व मजदूरों की संख्या बढ़ाकर जल्दबाजी कर अपना निर्माण सम्पूर्ण कर लिया। आवेदन की इस मद में वर्णित यह कथन भी गलत है कि प्रार्थी जब कलकत्ता से वापस आया तो अन्य वादीगण से इस बारे में कहा तो उन्होंने बताया कि यह हमारी भी नहीं मानता और न्यायालय का आदेश भी नहीं मानता है। प्रार्थी ने आवेदन की इस मद में वर्णित सम्पूर्ण अभिकथन गलत व काल्पनिक रूप से अंकित व वर्णित किये हैं। प्रार्थी द्वारा वर्णित अभिकथन अस्पष्ट व काल्पनिक हैं, जिनमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं है। प्रार्थी ने अपने आवेदन में यह भी अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थी ने किस वर्ष के अक्टूबर–नवम्बर में मकानात का निर्माण कर लिया तथा प्रार्थी द्वारा तथाकथित रूप से नाजायज मकानात का जो निर्माण करना प्रार्थी अभिकथित कर रहा है, वह किस तारीख से किस तारीख तक अर्थात् किस समयावधि में किया गया, इसकी भी प्रार्थी ने कोई समयावधि व तारीख अंकित नहीं की है। यदि अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई निर्माण नाजायज रूप से करवाया जाता तो अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण को कब प्रारम्भ किया गया, उसकी तारीख, निर्माण की

समयावधि तथा वर्ष का अंकन प्रार्थी द्वारा अवश्य किया जाता । इसी प्रकार प्रार्थी ने आवेदन में यह अंकित नहीं किया कि किस तारीख को प्रार्थी सीकर शहर में न होकर कलकत्ता गया हुआ था। प्रार्थी को किस माध्यम से जानकारी मिली, कब प्रार्थी ने तथाकथित रूप से अप्रार्थी को मना किया और कब अप्रार्थी ने आदेश को मानने से इंकार कर दिया, कब प्रार्थी कलकत्ता से वापस आया तथा अन्य वादीगण से कब उसने क्या वार्ता की, उपरोक्त समस्त तथाकथित घटनाक्रम के बारे में प्रार्थी ने कोई तारीख, वर्ष, महिना, वर्ष या समयावधि अंकित नहीं की है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता हैं कि प्रार्थी ने अपार्थी पर तथाकथित नाजायज रूप से मकानात का निर्माण करना एवं न्यायालय के आदेश को मानने से इंकार करने का जो आरोप लगाया है, वह नितान्त गलत व झूठ है ।

3. अप्रार्थी सीताराम ने अपने विशेष उत्तर में अंकित किया है कि प्रार्थी ने प्रस्तुत आवेदन के साथ नक्शा गलत रूप से पेश किया है। प्रार्थी ने प्रस्तुत आवेदन में कतई गलत रूप से यह अंकित किया है कि अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.07.2018 की अवमानना की है। अप्रार्थी ने माननीय न्यायालयके द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.208 की अन्य पक्षकारों के साथ–साथ अक्षरशः पालना की है। अप्रार्थी द्वारा जो निर्माण करवाया गया है, वह निर्माण माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के यथास्थिति आदेश पारित किए जाने से पूर्व अर्थात माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी प्रभावी निर्णय व आदेश पारित करने से पूर्व करवाया गया था, जिसमें संपदा के अन्य सह–हिस्सेदारों की मौखिक सहमति थी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद कितने मकानात का निर्माण कर लिया, क्या निर्माण कार्य कर लिया। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी के अभिकथन गलत व काल्पनिक है। यदि उत्तरदाता ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए कोई निर्माण करवाया होता तो इसका विवरण आवेदन में अंकित होता। अंत में प्रार्थी का आवेदन मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2024 को निम्न विवाद्यक विरचित किया गया–

1. आया अप्रार्थी ने वादपत्र व आवेदन में वर्णित सम्पदा संख्या–4 में उत्तर पश्चिम कोने की तरफ न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर निर्माण करवा कर न्यायालय की अवज्ञा की है? .... प्रार्थी
2. अनुतोष?

4. प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 कैलाशचन्द स्वयं के बयान लेखबद्ध करवाए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 सीकर के निर्णय की प्रतिलिप को प्रदर्शित करवाया। अप्रार्थी ने अपने जवाब आवेदन के समर्थन में डी.ड.1 सीताराम स्वयं के बयान लेखबद्ध करवाए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

5. बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष की सुनी गयी। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का

आवेदन अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए– समर्थन में न्यायिक दृष्टांत AIR 2004 S C 4277 Prithawi Nath Ram Vs. State Of Jharkhand and others पेश किया।

6. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण में विरचित विवाद्यक पर न्यायिक निर्णय निम्नानुसार है–

विवाद्यक संख्या–1

7– 1.आया अप्रार्थी ने वादपत्र व आवेदन में वर्णित सम्पदा संख्या–4 में उत्तर पश्चिम कोने की तरफ न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर निर्माण करवा कर न्यायालय की अवज्ञा की है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। इस संबंध में प्रार्थी कैलाशचन्द पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में प्रार्थी संख्या–4 सीताराम है जो प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी है ने अक्टूम्बर–नवम्बर 2019 माह में वाद–पत्र व आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित सम्पदा संख्या–4 में उत्तर–पश्चिम कोने में नाजायज रूप से बावजूद न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के बावजूद मकानात का निर्माण कर लिया। प्रार्थी जो विजयनारायण का पुत्र है, वह निर्माण कार्य चालू किया उस वक्त सीकर शहर में न होकर कलकत्ता गया हुआ था, पीछे से साज कर मकानात का निर्माण कार्य किया गया। जब प्रार्थी को इस सम्बंध में जानकारी मिली तो प्रार्थी ने इसके लिए मना किया तो अप्रार्थी ने मानने से मना कर दिया। उस समय कोरोनाकाल चल रहा था तो प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक को इस सम्बंध में एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था, किन्तु पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई। अप्रार्थी का उक्त कार्य माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/07/2018 की खुल्म खुल्ला अवहेलना है और इसके लिए दण्डित किया जाकर दावा दायरी की स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक है। प्रदर्श 1 न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश सं.3 सीकर के निर्णय की प्रतिलिपि पेश की। उसने पुलिस अधीक्षक, सीकर को एक शिकायत पेश की थी, उसकी पावती रसीद प्रस्तुत की है।

8– उक्त गवाह पी.ड.1 कैलाशचन्द ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने जो पावती रसीद की फोटो प्रति पेश की है उसमें यह अंकित नहीं है कि उसने परिवाद किसके विरूद्ध और किस घटना के बाबत पेश किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने जो पावती रसीद की फोटो प्रति पेश की है, उसकी कोई प्रति पेश नहीं की गई है। यह कन्टेम्पट आवेदन दिनांक 12.03.20 को पेश किया गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि पावती रसीद की फोटो प्रति दिनांक 20.12.21 की है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में यह लिखा है कि प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में आवेदन पेश किया था, लेकिन यह आवेदन पेश नहीं किया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त सम्पदा बाबत जुगल किशोर वगैरह ने जो दावा,टी.आई. आवेदन पेश किया था

तथा संपदा के जो नक्शे पेश किए थे तथा जो जवाब पेश किया था, उन्होंने उनकी प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में स्थल निरीक्षण, मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके मूल आवेदन में तथा उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में यह अंकत नहीं किया है कि किस तारीख, व किस तारीख से किस तारीख तक यानि कितनी समयावधि में अप्रार्थी ने निर्माण कार्य करवाया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके आवेदन में यह भी नहीं लिखा गया कि वह किस तारीख को कलकत्ता गया व वापस आया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके मूल कन्टेम्पट आवेदन व शपथ पत्र में किस वर्ष में अप्रार्थी ने निर्माण कार्य करवाया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके मूल आवेदन व शपथ पत्र में यह भी नहीं लिखा गया है कि अप्रार्थी से उसने निर्माण बाबत क्या बात की व कब बात की। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने मूल आवेदन व शपथ पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि न्यायालय के स्टे के बाद क्या–क्या निर्माण कार्य करवाया गया। सीताराम निर्माण कार्य करवा रहा है, यह सूचना उसे उसके लडके ने फोन करके दी थी, वह उस समय कलकत्ता था। हेमंत ने उसे अक्टूबर 209 में यह जानकारी दी थी, जिसकी तारीख उसे याद नहीं है। उसे यह जानकारी होने के 15–20 दिन बाद वह आया था तब तक सीताराम ने यह निर्माण कार्य करा लिया था। गवाह ने स्वीकार किया कि यह निर्माण कार्य उसकी अनुपस्थिति में हुआ था इसलिए उसने खुद नहीं देखा। गवाह ने स्वीकार किया कि हेमन्त ने उसे निर्माण बाबत जो बात बताई, वह उसके शपथ पत्र में अंकित नहीं है।

9– गवाह डी.ड.1 सीताराम ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि प्रार्थी न अपने आवेदन में यह अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थी ने किस वर्ष के अक्टूबर–नवम्बर में मकानात का निर्माण कर लिया तथा अप्रार्थी द्वारा तथाकथित रूप से नाजायज मकानात का जो निर्माण करना प्रार्थी अभकिथित कर रहा है, वह किस तारीख से किस तारीख तक अर्थात किस समयावधि में किया गया, इसकी भी प्रार्थी ने कोई समयावधि व तारीख अंकित नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई निर्माण नाजायज रूप से करवाया जाता तो अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण को कब प्रारम्भ किया गया, उसकी तारीख, निर्माण की समयावधि तथा वर्ष का अंकन प्रार्थी द्वारा अवश्य किया जाता। इसी प्रकार प्रार्थी ने आवेदन में यह अंकित नहीं किया कि किस तारीख को प्रार्थी सीकर शहर में न होकर कलकत्ता गया हुआ था, प्रार्थी को किस माध्यम से जानकारी मिली, कब प्रार्थी ने तथाकथित रूप से अप्रार्थी को मना किया और कब अप्रार्थी ने आदेश को मानने से इंकार कर दिया, कब प्रार्थी कलकत्ता से वापस आया तथा अन्य वादीगण से कब उसने क्या वार्ता की, उपरोक्त समस्त तथाकथित घटनाक्रम के बारे में प्रार्थी ने कोई तारीख, वर्ष, महिना, वर्ष या समयावधि अंकित नहीं की है । उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी पर तथाकथित नाजायज रूप से मकानात का निर्माण करना एवं न्यायालय के आदेश को मानने से इंकार करने का जो आरोप लगाया है, वह नितान्त गलत व झूठ है । अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के किसी आदेश की कोई अवहेलना नहीं की। इस कारण अप्रार्थी को दण्डित किया जाना एवं मकानात को कुर्क किया जाना कतई न्याय संगत नहीं है। अप्रार्थी का कोई भी निर्माण नव–निर्मित निर्माण की श्रेणी में नहीं आता है । अप्रार्थी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जो माननीय

न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता हो । प्रार्थी, अप्रार्थी के किसी निर्माण कार्य को ध्वस्त करवाने का कानूनी अधिकारी नहीं है । प्रार्थी ने आवेदन के साथ नक्शा गलत रूप से पेश किया है । प्रार्थी ने आवेदन में कतई गलत रूप से यह अंकित किया है कि अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.07.2018 की अवमानना की है। अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.7.2018 की अन्य पक्षकारों के साथ–साथ अक्षरशः पालना की है। अप्रार्थी द्वारा जो निर्माण करवाया गया, वह निर्माण माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के यथास्थिति आदेश पारित किये जाने से पूर्व अर्थात् माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी प्रभावी निर्णय व आदेश पारित करने से पूर्व करवाया गया था, जिसमें सम्पदा के अन्य सह–हिस्सेदारों की मौखिक सहमति थी । प्रार्थी ने अपने आवेदन में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश के वावजूद कितने मकानात का निर्माण कर लिया, क्या निर्माण कार्य कर लिया । इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी के अभिकथन गलत व काल्पनिक हैं । यदि अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए कोई निर्माण करवाया होता तो इसका विवरण आवेदन में अंकित होता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस कारण भी प्रार्थी का आवेदन मेन्टेनेबल नहीं है ।

10– गवाह डी.ड.1 सीताराम ने जिरह में कथन किए हैं कि उसके मकान संपदा संख्या 4 में बने हुए हैं। उसके कुल चार कमरे, एक रसोई, लेट्रीन–बाथरूम है। उसके अन्य भाईयों के किसी के एक मकान है, किसी के दो मकान है और किसी के खाली जगह पडी है। गवाह ने स्वीकार किया कि सपंदा संख्या 4 के उत्तर–पश्चिमी कोने में उसके मकान है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 20.07.18 को माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त संपदा के संबंध में स्थगन जारी कर दिया था। उसके बाद कोरोना काल आ गया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि दो मकान उसके पुराने बने हुए हैं तथा दो मकान नये बने हुए हैं। उसका नया निर्माण 2017 का है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि 2017 में उसका बटवारे का दावा न्यायालय में विचाराधीन था। यह निर्माण जून माह में किया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि इस निर्माण के संबंध में पुलिस में शिकायत हुई थी और पुलिस मौके पर आयी थी। पुलिस किस तारीख को आयी थी, यह वह नहीं बता सकता, दिसम्बर 2021 में पुलिस नहर्की आई थी अजखुद कहा कि पुलिस दिसम्बर 2021 में ही आयी थी। यह पुलिस कैलाशचंद की शिकायत पर आयी थी। पुलिस ने उनके निर्माण कार्य को नहीं रूकवाया था।

11– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का सूक्ष्मता से विवेचन व विश्लेषण किया जावे तो प्रार्थी ने अपने आवेदन में मुख्य रूप से अंकित किया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2018 को आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया एवं पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त संपदा को विक्रय करने, अंतरित करने एवं यथास्थित बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, किन्तु न्यायालय के उक्त आदेश के बावजूद अक्टूम्बर–नवम्बर में अप्रार्थी ने वाद पत्र व आवेदन में अंकित संपदा संख्या 4 में उत्तर–पश्चिम कोने की तरफ नाजायज रूप से मकानात का निर्माण कर लिया । प्रार्थी कैलाशचन्द न्यायालय के समक्ष पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी

जिरह में स्वीकार किया है कि उसने जो पावती रसीद की फोटो प्रति पेश की है उसमें यह अंकित नहीं है कि उसने परिवाद किसके विरूद्ध और किस घटना के बाबत पेश किया था। गवाह कैलाशचंद ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में यह लिखा है कि उसने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में आवेदन पेश किया था, लेकिन यह आवेदन पेश नहीं किया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में स्थल निरीक्षण, मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके मूल आवेदन में तथा उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में यह अंकत नहीं किया है कि किस तारीख, व किस तारीख से किस तारीख तक यानि कितनी समयावधि में अप्रार्थी ने निर्माण कार्य करवाया तथा उसके आवेदन में यह भी नहीं लिखा गया कि वह किस तारीख को कलकत्ता गया व वापस आया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसके मूल कन्टेम्पट आवेदन व शपथ पत्र में किस वर्ष में अप्रार्थी ने निर्माण कार्य करवाया तथा उसके मूल आवेदन व शपथ पत्र में यह भी नहीं लिखा गया है कि अप्रार्थी से उसने निर्माण बाबत क्या बात की व कब बात की। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने मूल आवेदन व शपथ पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि न्यायालय के स्टे के बाद क्या–क्या निर्माण कार्य करवाया गया। सीताराम निर्माण कार्य करवा रहा है, यह सूचना उसे उसके लडके ने फोन करके दी थी, वह उस समय कलकत्ता था। जबकि अप्रार्थी सीताराम ने अपने सशपथ बयानों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके दो मकान पुराने बने हुए है तथा दो मकान नये बने हुए हैं। उसका नया निर्माण 2017 का है। यह निर्माण जून माह में किया था।

12– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जुगल किशोर वगैरह की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.18 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्दाओं को किसी अन्य को विक्रय, अंतरित नहीं करने एवं यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधित किए जाने के आदेश दिया गया था। प्रार्थी का अपने आवेदन में मुख्य रूप से यह कहना रहा है कि न्यायालय के उक्त आदेश के बावजूद अक्टूबर–नवम्बर में अप्रार्थी ने वाद पत्र व आवेदन में अंकित संपदा संख्या 4 में उत्तर–पश्चिम कोने की तरफ नाजायज रूप से मकानात का निर्माण कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है लेकिन अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त संपदा में किस, तारीख व वर्ष को क्या निर्माण किया गया, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, केवल मौखिक कथन किए हैं, जो माने जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त स्थल पर जो निर्माण किया जाना बताया है उसके कोई फोटोग्राफ्स भी पत्रावली में पेश नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सीताराम द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.18 की अवहेलना किया जाना एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जाना प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी कैलाशचन्द द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

13– अतः प्रार्थी कैलाशचन्द द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 39 (2) (क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवंम सपठित धारा 151 सी आर पी सी विरूद्ध सीताराम अस्वीकार किया

जाकर खारिज किया जाता है।

(इन्दिरा बनेरा)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–3 सीकर ।

14. निर्णय आज दिनांक 07.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्दिरा बनेरा)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–3 सीकर ।

VIVEK SHRIVASTAV

"Authonticat Document"
Digitally signed by VIVEK SHRIVASTAV
Date: 2026.08.10 13:04:23 +0000

प्रमाणित दस्तावेज